

I/188879/2024

वित्तीय स्वीकृति

संख्या:- / IT-BUD/ITDA/6/2023-XXXIV-1 (ई-62931)

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01 देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2024

विषय:-आई0टी0डी0ए0 कार्यालय संचालन, उपकरणों का अनुरक्षण, सी0एम0 हैल्प लाईन संचालन, ड्रोन अनुसंधान केन्द्र संचालन एवं स्टेट डाटा सेन्टर संचालन आदि कार्यों हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, वित्त एवं अधिप्राप्ति, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र दिनांक-23.09.2023 एवं निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र दिनांक-25.10.2023 एवं पत्र दिनांक-01.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0टी0डी0ए0 कार्यालय संचालन, उपकरणों का अनुरक्षण, सी0एम0 हैल्प लाईन संचालन, ड्रोन अनुसंधान केन्द्र संचालन एवं स्टेट डाटा सेन्टर संचालन आदि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य सेवायें, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2800.00 लाख (रू0 अठाईस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1711.75 लाख (रू0 सतरह करोड़ ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का अनुमोदन भी अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाय एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. यदि प्रश्नगत धनराशि का व्यय बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, तो वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-05.06.2023 के अनुसार बैंक खाते को केन्द्र सरकार के एस0ए0ए0 मॉड्यूल की भांति किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
5. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों, समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की

जाएंगी।

6. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
 7. आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2024 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
 8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600 अन्य सेवायें, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण/आईटी0डी0ए0 को अनुदान, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-111469/09(150)2019/XXVII(I)/2023, दिनांक-31.03.2023 में निहित प्राविधानों, वित्त विभाग की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-1/186993/2024, दिनांक-02.02.2024 तथा बजट आवंटन अनुदान सं0-23 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं- 524020230008, 1-24020230029, दिनांक-12.02.24 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

संलग्न-यथोक्त।

Signed by Shailesh
Bagauli

Date: 08-02-2024 17:28:47

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. - केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. - सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. - वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ashish Kumar

Srivastava

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)
Date: 12-02-2024 11:06:16